पत्रांक–3/एम0–22/2024सा0प्र0 12956 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

पटना–15, दिनांक– 16.8.2024

विषयः– नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं अंक की अधिमानता दिये जाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 द्वारा विधिवत सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन का प्रावधान एवं प्रक्रिया निरूपण किया गया था। इस संकल्प के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में श्री अशोक कुमार चौधरी, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 12534 दिनांक–17.09.2018 द्वारा संसूचित किया गया है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न परिशिष्ट–'क' के क्रम संख्या–9 पर नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण तथा कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. साथ ही संकल्प ज्ञापांक– 12534 दिनांक–17.09.2018 की कंडिका–3(i) द्वारा संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के अनुपालन में पूर्ववर्ती संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 को संशोधित एवं परिवर्द्धित करते हुए संविदा नियोजन हेतु विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रिया का निरूपण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 द्वारा संसूचित किया गया है। प्रासंगिक संकल्प की कंडिका–4(4) में संविदा नियोजित कर्मियों को समान पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा में छूट तथा कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

3. उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में वर्णित निर्णय के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा प्रासंगिक सेवा/संवर्ग नियमावलियों में नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता संबंधित अपेक्षित संशोधन भी किया जा चुका है।

4. इस क्रम में इस बिन्दु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा कतिपय विभागों द्वारा की गयी है कि यदि नियमित नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया में प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा– दोनों हो तब अधिमानता दोनों परीक्षाओं में दी जाय अथवा मात्र प्रारम्भिक परीक्षा में दी जाय या मात्र मुख्य परीक्षा में दी जाय?

5. इस संदर्भ में समीक्षा में पाया गया कि यदि प्रारम्भिक परीक्षा में अंक की अधिमानता या अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ नहीं दिया जाय तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार मात्र प्रारम्भिक परीक्षा में प्रासंगिक अधिमानता दिये जाने की स्थिति में अन्तिम परीक्षाफल में संविदा कर्मियों के चयनित होने की सम्भावना नगण्य हो जायेगी क्योंकि संविदा नियोजित कर्मियों की प्रतियोगिता ऐसे अभ्यर्थियों से होगी जो तुरंत विश्वविद्यालयों से निकले होंगे। वर्णित परिस्थति में संविदा नियोजित कर्मी को नियमित नियुक्ति के क्रम में प्रासंगिक अधिमानता दिये जाने के मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।

6. उक्त वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता का लाभ भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा– दोनों चरणों में दिया जाय।

7. अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन,

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव

पत्रांक– 3/एम0–22/2024सा0प्र0 12954/ पटना–15 दिनांक– 16.8.24

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव